

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4615 /

जबलपुर, दिनांक 25/11/2020

II-15-7/2020 (Covid-19 Leave)

श्री अंतर सिंह मोरे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को Circular No. बी/2759 दिनांक 29.07.2020 के कडिका 1 के संदर्भ में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने से पात्रतानुसार दिनांक 23.03.2020 से 09.05.2020 तक 48 दिन का अर्जित अवकाश एवं शेष अवधि दिनांक 10.05.2020 से 14.05.2020 तक 5 दिन का अवैतनिक अवकाश (L.W.P.) अवकाश स्वीकृत किया गया है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
H


पृष्ठांकन क्रमांक B/4616 /

जबलपुर, दिनांक 25/11/2020

II-15-7/2020 (Covid-19 Leave)

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/अवकाश/1433 इंदौर, दिनांक 28.09.2020 के संदर्भ में श्री अंतर सिंह मोरे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट का आवेदन पत्र दिनांक 18.05.20 मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शनी प्रशा.)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
H